

















शहर &gt;&gt; अपडेट

आत्महत्या का  
किया प्रयास

कोडरमा: जिले के तिलैया डैम आपी अंतर्गत गरण्याई है एक व्यक्ति ने पत्ती से विवाह के बाद जहर खाकर आपी का प्रयास किया। जहर खाने वाले व्यक्ति की पहचान मिथुन भारती (उम्र 35 वर्ष, पिता द्वारा भारी के रूप में हुई है। मिथुन भारती के द्वारा जहर खाने की जानकारी परिजन को मिलने के बाद परिजन उस सदर अस्पताल कोडरमा लेकर पहुंचे। जहर प्राथमिक है की बाद चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रिस्से रफर कर दिया है।

खुलासा

नाबालिगों में भी फिरौती का चक्का और गुनाह को बढ़ावा मिलने का कारण अधिका

# अब्दुस के अपहरण और हत्या मामले का उद्धभेदन

►तासिम और तरबित में कमी गुनाहों को देता है अनजाम

►एक बच्चा मौत के आगों से और दो ईस्लामे जेल में

राष्ट्रीय खबर

कोडरमा: कोडरमा थाना क्षेत्र के जलवायाद निवासी अब्दुस समद उर्फ अलसमद (पिता मोहम्मद रिजावान) के अपहरण और फिर हत्या के बाद खालिसा कर लिया गया है। हत्या में शामिल दो नाबालिगों को पकड़ा गया है। हांताकि लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि अब्दुस की हत्या उसके जाने वाले दो नाबालिग ने ही कर दी। इस बाबत कोडरमा एसपी अनुरोध सिंह ने मंगलवार शाम को मामले की जानकारी देते हुए जलवायाद में तकियत की विगत 14 सितंबर को अपहरण किया गया था। इसको लेकर कोडरमा थाना में कांड संख्या 169/ 23 दर्ज कराया गया था। इसके बाद 17 सितंबर



को अब्दुस समद का शब्द बताया कि विगत 14 सितंबर को अपहरण किया गया था। इसको लेकर कोडरमा थाना में कांड संख्या 169/ 23 दर्ज कराया गया था। इसके बाद 17 सितंबर

थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित टीम में तकनीकी शाखा, कोडरमा को भी रखा गया। गठित एसपीआईटी टीम के द्वारा क्षेत्र में लगे ने अब्दुस समद उर्फ अलसमद को उसके घर के पास से बुलाकर घर से पीछे करीब 150 मीटर दूरी पर

बंद निमार्गधीन मकान में ले जाकर रस्सी से गला घोंसकर हत्या कर दिया।

शब्द को लुप्तने के लिए उसी निमार्गधीन मकान के कमरे में प्लास्टिक के तिरपाल से ढक दिया। कांड में सर्लिप दोनों नाबालिग को पकड़ा गया एवं इनके निशादेही पर मृतक अब्दुस समद का दाहिना पैर का एक हवाई चप्पल एवं घटाना में प्रयुक्त रस्सी बरामद किया गया। एसपी बताया कि पृथगत में दोनों नाबालिगों ने मृतक अब्दुस के अधिभावक से पैसे मांगने और पूर्व में उनके चोरी की घटाना में शामिल होने के मामला को उजागर करने को लेकर अंजाम दिया है कोन कोन थे आपामारी द्वारा राम, छिकबाल हृषीन, कुंदन कुमार, अब्दुल खान, संजय शर्म, ऋषिकेश सिंह, मुकेश कुमार, तकनीकी शाखा कोडरमा के टीम के सदस्य एवं सशक्त बल की भूमिका रही।

## न्यूज फटाफट

कार के धवके से बुजुर्ग घायल

कुदू: कुदू रांची मुख्य पथ एनएप 75 बरायाटी बोक के समीप सड़क किनारे चल रहे एक बुजुर्ग को कार ने चपेट में ले लिया। घटाना मंगलवारी की शाम करीब 4 पहान घंडरा गांव निवासी 75 वर्षीय कमाल पंवरिया पिता स्व कादिर मिया के रूप में हुई है। जात हो कि बुजुर्ग व्यक्ति बिक्षान करके अपना जीवन यापन करते थे। मिली जानकारी के अनुसार कमाल पंवरिया पैदल अपने गांव पड़ा जा रह थे तभी रांची की ओर से आरही एक हुंडाई सेटों कार संख्या जेएच०९एच-२३२९ ने जोरदार टक्कर कर मार दी। दुर्घटना के बाद सड़क पर पड़े बुजुर्ग को स्थानीय लोगों ने कुदू अस्पताल पहुंचाया। जहाँ चिकित्सकों द्वारा गांव से टूटने और सर में गंभीर चोटी की बात बताते हुए रिस्म रेफर कर दिया। इधर दुर्घटना के बाद गांव मारी गांव रहे चालक को स्थानीय लोगों ने कुदू में पकड़ा और कुदू थाना को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस आग की कारबाई में जुट गयी है।



## दुकान आवंटन के नाम पर महिला से गैंगरेप

चतरा : चतरा में जिला परिषद कार्यालय में दो सरकारी बाबूओं एवं मध्यराहण लॉक नाजीर पर एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला के आवेदन सदर थाना में कांड सख्त्या ३००/२०२३ के तहत मामला दर्ज किया गया है। सिमरिया में जिला परिषद की दुकान आवंटित करने के नाम पर महिला के साथ तीनों कर्मियों द्वारा गैंगरेप करने का आरोप लगा है। महिला की शिक्षायत पर सदर थाना पुलिस ने गैंगरेप करने के आरोपी जिला परिषद के नाजीर मोहम्मद मेराज, कर्मी सौरभ कुमार एवं मध्यराहण प्रखंड कार्यालय के नाजीर निर्जन पांडेय को गिरपत्रार किया है। गिरपत्रार आरोपीयों से सदर थाना में पूछताछ के लाई तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं पीड़िता को पुलिस ने महिला के साथ गैंगरेप करने के आरोपी जिला परिषद के नाजीर मोहम्मद मेराज, कर्मी सौरभ कुमार एवं मध्यराहण प्रखंड कार्यालय के नाजीर निर्जन पांडेय को गिरपत्रार किया है। गिरपत्रार आरोपीयों से सदर थाना में पूछताछ के लाई तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं पीड़िता के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस ने महिला के साथ गैंगरेप करने के आरोपी जिला परिषद के नाजीर मोहम्मद मेराज, कर्मी सौरभ कुमार एवं मध्यराहण प्रखंड कार्यालय के नाजीर निर्जन पांडेय को गिरपत्रार किया है। गिरपत्रार आरोपीयों से सदर थाना में पूछताछ के लाई तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं पीड़िता के बाद जेल भेज दिया है। पीड़िता के बाद न्यायालय में बयान दर्ज कराने के लिये ले गई है। पीड़िता के बाद न्यायालय में जिला परिषद कार्यालय के द्वारा निर्मित दुकान के आवंटन के नाम पर नाजीर ने दो अन्य कर्मियों की घटाना को आजाम दिया है। पीड़िता ने बताया कि नाजीर व दो अन्य आरोपीयों ने उसके साथ तीनों कर्मियों की शिक्षायत पर गैंगरेप करने के बाद गांव के बाहर लॉक में जेल भेज दिया है। पुलिस ने महिला के साथ गैंगरेप करने के आरोपी जिला परिषद के नाजीर मोहम्मद मेराज, कर्मी सौरभ कुमार एवं मध्यराहण प्रखंड कार्यालय के नाजीर निर्जन पांडेय को गिरपत्रार किया है। गिरपत्रार आरोपीयों से सदर थाना में पूछताछ के लाई तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं पीड़िता के पुलिस ने महिला के साथ गैंगरेप करने के आरोपी जिला परिषद के नाजीर मोहम्मद मेराज, कर्मी सौरभ कुमार एवं मध्यराहण प्रखंड कार्यालय के नाजीर निर्जन पांडेय को गिरपत्रार किया है। गिरपत्रार आरोपीयों से सदर थाना में पूछताछ के लाई तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं पीड़िता के बाद जेल भेज दिया है। पीड़िता के बाद न्यायालय में बयान दर्ज कराने के लिये ले गई है। पीड़िता के बाद न्यायालय में जिला परिषद कार्यालय के द्वारा निर्मित दुकान के आवंटन के नाम पर नाजीर ने दो अन्य कर्मियों के साथ मिलकर तीन बार गैंगरेप करने के बाद जेल भेज दिया है। पीड़िता ने बताया कि नाजीर व दो अन्य आरोपीयों ने उसके साथ तीनों कर्मियों की शिक्षायत पर गैंगरेप करने के बाद गांव के बाहर लॉक में जेल भेज दिया है। पुलिस ने महिला के साथ गैंगरेप करने के आरोपी जिला परिषद के नाजीर मोहम्मद मेराज, कर्मी सौरभ कुमार एवं मध्यराहण प्रखंड कार्यालय के नाजीर निर्जन पांडेय को गिरपत्रार किया है। गिरपत्रार आरोपीयों से सदर थाना में पूछताछ के लाई तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं पीड़िता के पुलिस ने महिला के साथ गैंगरेप करने के आरोपी जिला परिषद के नाजीर मोहम्मद मेराज, कर्मी सौरभ कुमार एवं मध्यराहण प्रखंड कार्यालय के नाजीर निर्जन पांडेय को गिरपत्रार किया है। गिरपत्रार आरोपीयों से सदर थाना में पूछताछ के लाई तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं पीड़िता के बाद जेल भेज दिया है। पीड़िता के बाद न्यायालय में बयान दर्ज कराने के लिये ले गई है। पीड़िता के बाद न्यायालय में जिला परिषद कार्यालय के द्वारा निर्मित दुकान के आवंटन के नाम पर नाजीर ने दो अन्य कर्मियों के साथ मिलकर तीन बार गैंगरेप करने के बाद जेल भेज दिया है। पीड़िता ने बताया कि नाजीर व दो अन्य आरोपीयों ने उसके साथ तीनों कर्मियों की शिक्षायत पर गैंगरेप करने के बाद गांव के बाहर लॉक में जेल भेज दिया है। पुलिस ने महिला के साथ गैंगरेप करने के आरोपी जिला परिषद के नाजीर मोहम्मद मेराज, कर्मी सौरभ कुमार एवं मध्यराहण प्रखंड कार्यालय के नाजीर निर्जन पांडेय को गिरपत्रार किया है। गिरपत्रार आरोपीयों से सदर थाना में पूछताछ के लाई तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं पीड़िता के पुलिस ने महिला के साथ गैंगरेप करने के आरोपी जिला परिषद के नाजीर मोहम्मद मेराज, कर्मी सौरभ कुमार एवं मध्यराहण प्रखंड कार्यालय के नाजीर निर्जन पांडेय को गिरपत्रार किया है। गिरपत्रार आरोपीयों से सदर थाना में पूछताछ के लाई तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं पीड़िता के पुलिस ने महिला के साथ गैंगरेप करने के आरोपी जिला परिषद के नाजीर मोहम्मद मेराज, कर्मी सौरभ कुमार एवं मध्यराहण प्रखंड कार्यालय के नाजीर निर्जन पांडेय को गिरपत्रार किया है। गिरपत्रार आरोपीयों से सदर थाना में पूछताछ के लाई तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं पीड़िता के पुलिस ने महिला के साथ गैंगरेप करने के आरोपी जिला परिषद के नाजीर मोहम्मद मेराज, कर्मी सौरभ क





राजनीति

झारखंड सहित कई राज्यों में पड़ेगा इस ऐल रोको का असर

## कुड़मी आंदोलन की आंघ में झारखंड की राजनीति

► कई मार्गों पर रेल परिचालन प्रभावित  
► कुड़माली की भी शामिल करने की मांग  
► आदिवासी विकास परिषद ने किया विरोध  
राष्ट्रीय खबर



रांची : कुड़मी जाति को आदिवासी श्रेणी में शामिल करने को लेकर प्रारंभ आंदोलन ने प्रदेश की राजनीति को फिर से गमन दिया है। एक तरफ प्रश्नासन और रेल की तरफ से इस ऐल रोको आंदोलन की वजह से अलग इंतजाम करना पड़ा है। दूसरी तरफ कई आदिवासी संगठनों ने इस मांग का विरोध किया है। याद दिला दें कि इससे पहले पांडुगढ़ राज्य परिषद बंगाल में भी कुड़मी आंदोलन चला था और काफी दिनों तक सड़क जाम की वजह से वहाँ की सरकार को भी इस आंदोलन से परेशानी हुई थी। अब नये सिरे से झारखंड के लोकों में कुड़मी को आदिवासी धोखित करने पर रेल रोको आंदोलन की वजह है।

वितरंजन को बैठक जेल से लाया जायेगा रांची

रांची : कांके थाना में जमीन कारोबारी अवधारणा दाव पर दिनदहाड़े गोली चलाने के पटना रिश्ते बैठक जेल से लाया जायेगा। इसके लिए मामले के केस आईपीओ अनुसंधान पदाधिकारी (सीजेएम) ने रांची सिविल कोर्ट के मूल्यांकन और प्राथमिकी दर्ज की थी। इस आंदोलन को खींकूत करते हुए सीजेएम ने बैठक जेल के जेल अधिकार को प्रतिवार कर दिया है। चितरंजन फिलहाल एसएसडॉज एवट के मामले में बैठक जेल में बद है। उत्तर पट्टन के गोधी मैदान थाना में 30 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके अलावा गोदा थाना में और कांके थाना में घले से ही तीन केस दर्ज हैं। ज्ञात हो कि पिछले गुरुवार को कांके थाना क्षेत्र स्थित ब्लॉक चौक के पास जमीन कारोबारी अवधारणा दाव को दो अज्ञात अपराधियों ने दिनहाड़े गोली मारी थी।

## हाईकोर्ट में एनटीपीसी का हलफनामा, अतिक्रमणकारियों को भी दिया गया मुआवजा



रांची : हजारीबाग में एनटीपीसी के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान कथित रूप से हुए तौन हजार करोड़ के भूमि-मुआवजा घोटाला की जांच को लेकर दावर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एनटीपीसी की तरफ से अदालत में याचिका को लेकर दावर कर दिया गया है। जिनका कभी जनजातीय वित्तीय रहा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि देशभर की राजीव 16 जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में रहा। कुड़मी समाज की तरफ से राज्य के जनजातीय वित्तीय रहा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि देशभर की राजीव 16 जातियों को वित्तीय रहा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि देशभर की राजीव 16 जातियों को वित्तीय रहा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि देशभर की राजीव 16 जातियों को वित्तीय रहा ही नहीं है।

29 सितंबर से 7 अक्टूबर तक झारखंड में 156 स्थानों पर होंगी छोटी सभाएँ : विश्व हिंदू परिषद

रांची : विश्व हिंदू परिषद झारखंड प्रति टोली के प्रमुख कार्यकारी अंतर्गत की बैठक रांची के हाई रोड रिश्ते प्रांत उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रति उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद यादव ने आज कहा 8 अक्टूबर को रांची के ध्यावर स्थित श्री जगन्नाथ मैदान में होने वाला धर्मसभा एंटिहासिक एवं भव्य होगा। उन्होंने कहा भगवान श्री रामलला का टाटावास अब पूरा होने वाला है। आगामी जनवरी माह में भव्य मंदिर में प्रतिष्ठापित होंगे। उन्होंने कहा इस पूर्ण काल

ही अतिक्रमणकारियों की सची किसने बनाई है।

उसका सत्यापन कैसे किया गया।

उसकी कोई जानकारी नहीं कराई गई है।

अब अदालत इस मामले में बुधवार को सुनवाई करेगा। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जिस्टिस की बैंच इस एसआईटी को किस रूप पर कितना मुआवजा बांटा गया, उसका कोई विवरण एनटीपीसी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसके बाद उसका अधिकारी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसका अधिकारी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसका अधिकारी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसका अधिकारी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसका अधिकारी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसका अधिकारी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसका अधिकारी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसका अधिकारी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसका अधिकारी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसका अधिकारी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसका अधिकारी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसका अधिकारी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसका अधिकारी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसका अधिकारी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसका अधिकारी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसका अधिकारी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसका अधिकारी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसका अधिकारी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसका अधिकारी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसका अधिकारी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसका अधिकारी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसका अधिकारी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसका अधिकारी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसका अधिकारी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसका अधिकारी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसका अधिकारी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसका अधिकारी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसका अधिकारी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसका अधिकारी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसका अधिकारी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसका अधिकारी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसका अधिकारी ने जिला-जिला की दीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं की।

उसका अधिक